संख्या-19/2018/627/41-2018-70 यो0/14

प्रेषक,

ए0पी0 सिंह,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
पर्यटन
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ, दिनांक 13 मार्च, 2018

विषय- जनपद हापुड में ब्रजघाट (गढमुक्तेश्वर) पर गंगा नदी के दायें किनारे पर स्थित पुराने घाट का विस्तार एवं नये घाट के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-7074/6-1-1(518)/2017, दिनांक 05.02.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- जनपद हापुड में ब्रजघाट (गढमुक्तेश्वर) पर गंगा नदी के दायें किनारे पर स्थित पुराने घाट का विस्तार एवं नये घाट के निर्माण हेतु सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, मेरठ को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए वित्तीय वर्ष 2014-15 में शासनादेश सं0-82/2015/3240/41-15-70 यो0/2014, दिनांक 30.03.2015 द्वारा रू0 2545.89 लाख की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0 500.00 लाख धनराशि की वित्तीय स्वीकृति, वित्तीय वर्ष 2015-16 में शासनादेश सं0 21/2016/205/41-16-70 यो0/2014, दिनांक 29.02.2016 द्वारा प्रश्नगत येाजना हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रू0 500.00 लाख, वित्तीय वर्ष 2016-17 में शासनादेश संख्या-98/2016/1351/41-16-70 यो0/2014, दिनांक 17.08.2016 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 500.00 लाख की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति तथा शासनादेश संख्या-18/2017/235/41-2017-70 यो0/2014, दिनांक 28.03.2017 द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप में रू0 500.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में जनपद हापुड में ब्रजघाट (गढमुक्तेश्वर) पर गंगा नदी के दायें किनारे पर स्थित पुराने घाट का विस्तार एवं नये घाट के निर्माण कार्य हेतु पंचम किश्त के रूप में इस मद में उपलब्ध धनराशि रू0 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं-

(1) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0-8/2017/बी0-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/सेन्टेज चार्ज देय नही होगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(2) स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, इलाहाबाद को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक, पर्यटन एवं कार्यदायी संस्था की होगी। परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि से उक्त स्थल को जन उपयोगी बनाया जायेगा तथा इस योजना हेतु अब पृथक से कोई धनराशि प्रदान नहीं की जायेगी।

(4) प्रायोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, इलाहाबाद को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। निर्माण कार्य में पर्यावरणीय मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा तथा सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2017-18 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(8) उक्त स्वीकृत धनराशि व्यय व्यय करने के पूर्व यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्यों हेतु पूर्व में प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि का सम्पूर्ण उपयोग कर लिया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(9) योजना का अनुश्रवण महानिदेशक, पर्यटन स्तर पर नियमित रूप से सुनिश्चित किया जायेगा एवं मासिक वित्तीय तथा भौतिक प्रगति राज्य सरकार एवं त्रैमासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(10) प्रश्नगत योजना सम्बन्धी आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

4- उक्त प्रस्तर-3 में स्वीकृत धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-01-पर्यटन अवसंरचना-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-05-गढ़मुक्तेश्वर में ब्रजघाट धार्मिक स्थल का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं08/2017/बी0-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं

भवदीय,

(ए0पी0 सिंह)
उप सचिव ।

संख्या-19/2018/627/41-2018-70 यो0/14 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- मण्डलायुक्त आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
4- जिलाधिकारी, हापुड।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- कोषाधिकारी, हापुड।
7- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- मुख्य अभियन्ता (गंगा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग मेरठ।
9- उप निदेशक, पर्यटन मेरठ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4
11- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(ए0पी0 सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।